



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
1/2018-19
दिनांक 18.05.2018

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 14.06.2018

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 18.06.2018

ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय
में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.06.2018

“विशेष सूचना:- (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।” (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनाएँ/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त आन-लाइन आवेदन के हार्ड कापी के साथ आवेदित पद के सापेक्ष आन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर (दिनांक 25/06/2018 सायं 5:00 बजे तक) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक विलम्ब एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिये आनलाइन आवेदन SUBMIT करने के तत्काल बाद आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “आन-लाइन आवेदन पद्धति” (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। 1. आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आनलाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु 'APPLY' पर Click करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi Option Payment System)' का Home Page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENTS MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक

करने पर फॉर्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फॉर्मेट में आनलाइन सूचनाएँ भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद 'PREVIEW' को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु 'Submit' बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फॉर्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 'Submit' बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। 'Submit' बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. अनारक्षित (सामान्य) | - परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/- |
| 2. अन्य पिछड़ा वर्ग | - परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/- |
| 3. अनुसूचित जाति | - परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/- |
| 4. अनुसूचित जनजाति | - परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/- |
| 5. विकलांग श्रेणी | - परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 25/- |
| 6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |
| 7. भूतपूर्व सैनिक | - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |
| 8. महिला | - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथियों तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ आन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन submit करने की दशा में केवल उस रजिस्ट्रेशन नम्बर का आवेदन पत्र जो सबसे बाद में submit किया जायेगा, अन्तिम रूप से मान्य होगा।

अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

गृह (पुलिस) विभाग, 30प्र0

12 (बारह) पद सहायक रेडियो अधिकारी, 30प्र0 पुलिस रेडियो सेवा के अन्तर्गत। (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित/ अस्थायी, किन्तु चलते रहने की सम्भावना है, आरक्षण- 02 पद अनुसूचित जाति तथा 03 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, 30प्र0 के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है, क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय है, (विभाग संख्या- सेवा-1/01), वेतनमान- रु. 15600-39100, ग्रेड वेतन- रु. 5,400/-, अनिवार्य-अर्हताएं- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रीकल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वायरलेस कम्यूनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि। एवं देवनागिरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं- इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडियो संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। आयु सीमा:- 21 से 27 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार देय है)।

निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 30प्र0

01 (एक) पद निदेशक (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 30प्र0 सेवा के अन्तर्गत) (सामान्य चयन), (विभाग संख्या- सेवा-1/02), पद का स्वरूप : राजपत्रित/स्थायी, आरक्षण- 01 पद (अनारक्षित), वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 123100-215900, अनिवार्य अर्हताएं- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र/भौतिक शास्त्र/वनस्पति विज्ञान/जन्तुविज्ञान/

गणित/जैव-रसायन विज्ञान/विधि विज्ञान (फॉरेन्सिक साइंस)/सूक्ष्म जीवविज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/अनुवांशिकी/नाभिकीय विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान/कृषिविज्ञान/मनोविज्ञान/भूगर्भ शास्त्र/वानिकी विज्ञान (फॉरिस्ट साइंस)/पर्यावरण विज्ञान में एम0एस0सी0/एम0टेक0/एम0फार्मा/एम0बी0बी0एस0/एम0एस0/एम0डी0/दन्त विज्ञान में एम0एस0/रेडियोलॉजी/सांख्यिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में बी0टेक0/इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बी0टेक0 अथवा बी0एस0सी0 के साथ गणित में एम0ए0। 2- उपर्युक्त खण्ड-1 में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम 15 वर्षों के शोध कार्य के अनुभव के साथ उपर्युक्त को सम्मिलित करते हुए किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 3 उप निदेशक और इसके ऊपर अथवा इसके समकक्ष कार्य करने की प्रशासनिक क्षमता का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- 1- उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में डॉक्टरेट (पी0एच0डी0) की उपाधि। 2- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने - (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा: 40 से 57 वर्ष।

संस्कृति निदेशालय, 30प्र0

निम्नलिखित विषयों में सहायक निदेशक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा (सामान्य चयन)। पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, वेतन बैंड- 3 रु0- 15,600-39,100 तथा ग्रेड पे रु0- 5400/-

क्र. सं.	पद का नाम	विभाग संख्या	रिक्त पद	श्रेणी
1	सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला)	एस-3/05	02	अनारक्षित
2	सहायक निदेशक (विधि)	एस-3/06	01	अनारक्षित

(1) सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला) पद हेतु- अनिवार्य अर्हताएं - (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (ख) कला में 5 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कला में डिप्लोमा। (ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान। अन्य अधिमानी अर्हताएं- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (2) सहायक निदेशक (विधि) पद हेतु- अनिवार्य अर्हताएं - (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख) किसी विधि व्यवसायी या किसी विधि अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु- 21 से 40 वर्ष (अधिकतम आयु में छूट नियमानुसार)।

30प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग

02 (दो) पद - सहायक पुरातत्व अधिकारी (सामान्य चयन)। आरक्षण- 01 पद 30प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, वेतन बैंड- रु0-9300-34,800 तथा ग्रेड वेतन रु0- 4600/-, (विभाग संख्या- एस-3/07), अनिवार्य अर्हताएं - (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व या भारतीय मध्यकालीन इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त पुरातत्वीय संस्था से पुरातत्व में डिप्लोमा या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुमोदित पुरातत्वीय खोज या उत्खनन परियोजनाओं में सक्रिय भाग लेने का 02 वर्ष का क्षेत्र का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा- (1) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु- 25 से 40 वर्ष (आयु सीमा में नियमानुसार छूट)।

संस्कृति विभाग, 30प्र0

निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा (सामान्य चयन)। वेतनमान- रु0- 9300-34800/- ग्रेड वेतन रु0- 4800 (पुनरिक्तित वेतन मैट्रिक्स लेबल-08)

क्र. सं.	पद का नाम	पद का स्वरूप	विभाग संख्या	रिक्त पद	श्रेणी
1	सहायक निदेशक (कलात्मक वस्तुएं)	राजपत्रित/स्थायी	एस-3/08	01	अनारक्षित
2	संग्रहालयाध्यक्ष	राजपत्रित/अस्थायी	एस-3/09	02	अनारक्षित

(1) सहायक निदेशक (कलात्मक वस्तुएं) पद हेतु- अनिवार्य अर्हताएं - (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख) कलात्मक वस्तुएं या वस्त्र या मानवशास्त्र सम्बन्धी कलाओं के किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा या किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। (ख) कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र या मानवशास्त्र के किसी पहलू पर प्रकाशित लेख या अन्य प्रकाशन। अन्य अधिमानी अर्हताएं-

पृष्ठ का शेष

से वैद्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण, और (ग) राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 मास का व्यावसायिक अनुभव।

अधिमानी अर्हता - किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि।

आयु - न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)।

अन्य शर्त एवं अर्हताएं - नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, कालेजों फार्मसी में स्वीकृत चिकित्साधिकारी के पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

नोट - (1) शासन की वर्तमान नीतियों/आदेशों के अनुसार पेंशन अनुमन्य होगी। (2) सामान्य वर्ग की महिलायें पिता पक्ष से उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें महिला आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। (3) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित सभी वर्षों की अंकतालिकाओं को संलग्न करते हुए कुल प्राप्तांक/पूर्णांक/प्रतिशत का उल्लेख आवेदन पत्र में करें अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

खेल निदेशालय 30प्र0

शुद्धि-पत्र

(1) सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 दिनांक 30.12.2016 द्वारा **खेल निदेशालय 30प्र0** के अन्तर्गत निम्नलिखित **सहायक प्रशिक्षक** के 05 पद विज्ञापित किये गये थे:-

क्र. सं.	पद	विभाग का नाम	रिक्त पद	सा मा न्य	30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग	30प्र0 के अनुसूचित जाति	30प्र0 के अनुसूचित जन जाति
1	सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल)	एस-3/05	01	01	-	-	-
2	सहायक प्रशिक्षक (लानटैनिस्)	एस-3/06	01	01	-	-	-
3	सहायक प्रशिक्षक (टेबुलटैनिस्)	एस-3/07	01	01	-	-	-
4	सहायक प्रशिक्षक (भारोत्तोलन)	एस-3/08	01	01	-	-	-
5	सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट)	एस-3/09	01	01	-	-	-
	योग-		05	05	-	-	-

शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक अर्हताओं में संशोधन किया गया है। तदनुसार विज्ञापित पद की संशोधित अर्हतायें निम्नवत् हैं- **अनिवार्य अर्हताएं**- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलौर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से डिप्लोमा। 3- दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं**- 1- खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव। 2- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। **अन्य अधिमानी अर्हतायें**- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- 1- प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **नोट**- 1- उक्त पद के लिये विज्ञापन की शेष शर्तें यथा पदों की संख्या, आयु सीमा, आयु गणना की निश्चायक तिथि, पद का स्वरूप, वेतनक्रम, आवेदन शुल्क आदि वही होंगे जैसा कि मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 में अंकित हैं। (दिनांक 14-20 जनवरी, 2017 का रोजगार समाचार देखें)। 2- मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 के संदर्भ में जो अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। **उपर्युक्त संशोधित अर्हताओं के संदर्भ में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।** अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 का अध्ययन अवश्य कर लें।

(2) सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 दिनांक 30.12.2016 द्वारा **खेल निदेशालय 30प्र0** के अन्तर्गत निम्नलिखित **क्रीड़ाधिकारी** के 05 पद विज्ञापित किये गये थे:-

क्र. सं.	पद	विभाग का नाम	रिक्त पद	सा मा न्य	30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग	30प्र0 के अनुसूचित जाति	30प्र0 के अनुसूचित जन जाति
1	क्रीड़ाधिकारी (वालीवाल)	एस-3/10	01	01	-	-	-
2	क्रीड़ाधिकारी (लानटैनिस्)	एस-3/11	01	01	-	-	-
3	क्रीड़ाधिकारी (जिम्नास्टिक)	एस-3/12	01	01	-	-	-
4	क्रीड़ाधिकारी (तैराकी)	एस-3/13	01	-	01	-	-
5	क्रीड़ाधिकारी (बास्केटबाल)	एस-3/14	01	-	01	-	-
	योग-		05	03	02	-	-

शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक अर्हताओं में संशोधन किया गया है। तदनुसार विज्ञापित पद की संशोधित अर्हतायें निम्नवत् हैं- **अनिवार्य अर्हताएं**- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलौर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से डिप्लोमा। 3- दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं**- 1- खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव। 2- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। **अन्य अधिमानी अर्हतायें**- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- 1- प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2-

राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **नोट**- 1- उक्त पद के लिये विज्ञापन की शेष शर्तें यथा पदों की संख्या, आयु सीमा, आयु गणना की निश्चायक तिथि, पद का स्वरूप, वेतनक्रम, आवेदन शुल्क आदि वही होंगे जैसा कि मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 में अंकित हैं। (दिनांक 14-20 जनवरी, 2017 का रोजगार समाचार देखें)। 2- मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 के संदर्भ में जो अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। **उपर्युक्त संशोधित अर्हताओं के संदर्भ में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।** अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 का अध्ययन अवश्य कर लें।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :

14.06.2018

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि :

18.06.2018

ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.06.2018

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।
4. **आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2018 है।** उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, 30प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) तथा 30प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल 30प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार 30प्र0 बैसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को 30प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या- 1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। 30प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या-1508/15-08-2015-3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।
5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।
7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रिनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी। (I) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। (II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। (III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।
8. मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को

- प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण- पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण- पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।
 - 13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।
 - 13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।
 - 13.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 18/1/2008 - का-2-2008, 3 फरवरी 2008 के साथ संलग्न प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - 13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या- 22/21/1983-का-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।
 - 13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण- पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या-22/16/92-टी.सी.-III/का- 2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।
 - 13.6 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को जो 30प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
 14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
 15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित)ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या- 3014, कार्मिक-2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या- 6/1972, कार्मिक-2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
 16. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
 17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।
 18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर 'Contact Us' से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।
 19. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।
- परिशिष्ट-1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।**
- Detailed Application Form:**
- At the top of the page there is a '**Declaration**' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the **Declaration** carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on '**I Agree**' or '**I do not agree**' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.
- Notification Details**
- This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name
- Personnel Details**
- This section shows information about candidate personnel

details i.e. Registration Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details Candidate address, photo & signature details Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print. Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website [http:// uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT :- NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements :- ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration
2. Fee Deposition /Reconciliation
3. Submit Application Form

:- APPLICATION FORM STATUS

- View Application Status
- List of Applications Having photo related Objections
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

:- EXAMINATION SEGMENT

- Print Conventional Form and Address Slip (New)

:- DOWNLOAD SEGMENT

- Download Admit Card
- Download Syllabus
- Know your Registration No.
- Click here to view Key Answer Sheet

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the weblink will be disabled.

Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI


resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



परिशिष्ट

30प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-11)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... पद नाम..... जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... पद नाम..... जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL ANNEXURE

Certificate No. Date

DISABILITY CERTIFICATE



This is to certified that Shri/Smt/Kum son/wife/ daughter of Shri age

Sex identification mark (c)..... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
- (a) Impaired reach
- (b) Weakness or grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)
- (vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
 - (ii) PB-Partially Blind
- C. Hearing impairment:
- (i) D-Deaf
 - (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.*

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

- (i) F-can perform work by manipulating with fingers Yes/No
- (ii) PP-can perform work by pulling & pushing Yes/No
- (iii) L-can perform work by lifting Yes/No
- (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching Yes/No
- (v) B-can perform work by bending Yes/No
- (vi) S-can perform work by sitting Yes/No
- (vii) ST-can perform work by standing Yes/No
- (viii) W-can perform work by walking Yes/No
- (ix) SE-can perform work by seeing Yes/No
- (x) H-can perform work by hearing/speaking Yes/No
- (xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr.) (Dr.) (Dr.)

Member Medical Board Member Chairperson Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

<p>पृष्ठ का शेष</p> <p style="text-align: center;">प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम- नगर- जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है। स्थान: हस्ताक्षर..... दिनांक: पूरा नाम..... पदनाम..... मुहर..... जिलाधिकारी (सील)</p> <p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985</p> <p>प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती / कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पताने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद</p>	<p>संस्था का नाम..... मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्रारूप - 2</p> <p style="text-align: center;">(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता)ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्रारूप - 3</p> <p style="text-align: center;">(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये</p>	<p>नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्रारूप - 4</p> <p style="text-align: center;">(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासा (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांकसे दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p> <p style="text-align: right;">सचिव</p>
--	---	---